



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय / Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066

www.epfindia.gov.in ; www.epfindia.nic.in

संख्या मा.सं.प्र./ सूचना का अधिकार/

583/2011/128

दिनांक

9/5/11

11.1 MAY

2011

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना ।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत श्री/श्रीमती नीरज कुमार द्वारा उनके लिखित आवेदन दिनांक 10/3/11 के द्वारा सूचना हेतु अनुरोध किया गया है।

2. चूंकि, मुझे उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाने पर अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उस पर विचार कर सूचना देना आवश्यक है।

3. एवं चूंकि अधिनियम की धारा 5(4) में प्रावधान है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, यदि उचित समझे, अपने कर्तव्य के उचित निर्वाह हेतु किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है। उप पैरा (5) में आगे यह प्रावधान भी है कि जिस अधिकारी से सहायता मांगी गई है वह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पूरी सहायता देगा। यदि अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण शिकायत भेज दी जाती है, तो ऐसे अन्य अधिकारी को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी माना जाएगा एवं वह अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्ड का भागी हो सकता है। आगे, उपबन्धों का उल्लंघन होने अथवा दस्तावेज/सूचना उपलब्ध न कराने पर ऐसा अधिकारी अधिनियम की धारा 20 (1) के अन्तर्गत देरी के लिए, 250/-रुपये प्रतिदिन की दर से दण्ड का भागी होगा जो कि 25000/-रुपये तक बढ़ सकता है।

4. एवं चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) में प्रावधान है कि:

“जब सूचना के लिए जन अधिकारी को आवेदन किया गया हो:-”

(i) जो किसी अन्य जन अधिकारी के पास उपलब्ध हो ; अथवा

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य जन प्राधिकारी के कार्यों से संबंध रखती हो।

जिस जन प्राधिकारी को ऐसा आवेदन किया गया हो, वह आवेदन को अथवा इसके किसी माग को, जैसा उचित समझे, उस अन्य अधिकारी के पास स्थानांतरित करेगा एवं आवेदन कर्ता को ऐसे स्थानांतरण की तत्काल सूचना देगा।

चूंकि आवेदन की जाँच से मैंने पाया है कि आवेदनकर्ता ने निम्नलिखित मदों पर सूचना मांगी है:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

कृ.स. 1

आवेदन की फोटोकापी


पत्र संख्या

कृ.स.

दिनांक 10/3/11 के साथ
संलग्न है

जो सभी क्षेत्रों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों/ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से संबंधित एवं उपलब्ध हैं। मैं उक्त अधिनियम की धारा 5(4) का उपयोग करते हुए आवेदनकर्ता द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत गई सूचना/दस्तावेज इस प्रति की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र को स्थानांतरित करता हूँ। कृपया आप नोट करें की मांगी गई सूचना/दस्तावेज निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने में हुई देरी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्डिक उपबन्ध है।

कृपया इसे अति तत्काल समझे।


आर.के. कुकर्णी
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
(मा.सं.प्र.)

सेवा में,

1. क्षेत्र के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी _____।
2. सभी क्षेत्रों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी वैब प्रशासक, एन.डी.सी., इस पत्र की प्रतिलिपि एवं दिनांक 10/3/11 का आवेदन पत्र संगठन की वेबसाईट पर डालने के लिए।
3. श्री/श्रीमति _____।

_____।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
(मा.सं.प्र.)

8102 (Receipt)

RTI MATTER
MOST URGENT

दूरभाष / Phone No. : 033-2358-6774
फैक्स: FAX No. : 033-2358-0296
ई-मेल E-mail : epfo_ez_acc@yahoo.co.in

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन / EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) / (Ministry of Labour and Employment: Govt. of India)

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय /

OFFICE OF THE ADDITIONAL CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

पश्चिमी बंगाल :: पूर्वोत्तर क्षेत्र: झारखंड / WEST BENGAL: NORTH EAST REGION: JHARKHAND

डी के ब्लॉक, सैक्टर II, कोरुणामोई, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091 / DK Block, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700 091.

No. EPFO/ACC/KZ/21/RTI/NK(10.03.11)/ 213

Dt: 02.05.2011

Sub: Supply of information under Right to Information Act, 2005

Whereas an application dated 10.03.2011(copy enclosed) from one **Shri Niraj Kumar, Vice Editor, Manabidhikar Patrika, Station Road, Ward no. 32, Begusarai, Bihar-851101** seeking some information u/s 6(1) of the RTI Act, 2005 which has been received on 21.04.2011 by CPIO, Zonal Office, Kolkata.

2. Whereas the undersigned having been appointed as Central Public Information Officer, Zonal Office (Kolkata) under Section 5(1) of the said Act is required to consider and provide the information within 30 days of the receipt of the request.

3. And whereas Section 5(4) of the Act provides the Central Public Information Officer may seek the assistance of any other Officer as he considers it necessary for the proper discharge of his duties. Sub-section (5) further provides that any officer whose assistance has been sought shall render all assistance to the Central Public Information Officer. Once the complaint is referred for the purposes of any contravention of the provisions of the Act, such other officer shall be treated as Central Public Information Officer and may be liable for penalties under Section 20 of the said Act. Further in the event of violation of provisions/ non-furnishing of documents/ information such an officer is liable for penalties under Section 20(1) of the Act @ Rs250/- for each day of delay which may extend upto Rs 25000/-.

4. And whereas under Section 6(3) of Right to Information Act it has been provided that

"Where an application is made to a public authority requesting for an information:-

- (i) which is held by another public authority, or
- (ii) the subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority,

the public authority, to which such application is made, shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer."

137
5/5/11

Stamp case
20/5/11
R-11

5/5/11
381c
R-11

5. Whereas on scrutiny of the application it is found that the information sought by the applicant at **SL. No. 1 & 3** is closely related to and held by the **CPIO, EPFO, Head Office, New Delhi**, the undersigned invokes the provisions of section 5(4) of the said Act and transfer the application u/s 6(3) of the said Act to furnish the information/ documents sought by the applicant under the Act within the time as stipulated under the Act, directly to the applicant under intimation to the undersigned. You may please note that any delay in furnishing the information/ documents sought for within the stipulated time limit will attract the penal provision as provided for under Section 20 of the Right to Information Act.

Encl : As above.


(T. K. DAS)
Assistant P. F. Commissioner/ C.P.I.O.
[Zonal Office, Kolkata]

To
The Central Public Information Officer (HRM)
Employees P. F. Organisation,
Head Office, New Delhi

Copy to:

- 1 Shri Niraj Kumar, Vice Editor, Manabidhikar Patrika, Station Road, Ward no. 32, Begusarai, Bihar-851101
- 2 C.P.I.O., R.O., Kolkata with reference to the letter no. RTI Cell/ RO/ Kol/ NK/ 11/ 549 Dt/ 20.04.2011


(T. K. DAS)
Assistant P. F. Commissioner/ C.P.I.O.
[Zonal Office, Kolkata]

प्रपत्र - क

नियम 3(1) देखें।

राचना के अधिकार के तहत आवेदन

सूचना क्र०

(कार्यालय प्रयोग हेतु)

आधिकारी, विभाग प्रमुख

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

भविष्य निधि भवन, 1A, भीकान्धी काभा प्लेस, नई दिल्ली-66

आवेदनक. नाम ... नीरज कुमार

आवास का पता ... अ.सं.संपादक - मानवाधिकार, पत्रिका, स्टेशन रोड, वार्ड नं०-32, बेगूसराय (बिहार) - 851101

सूचना क्र०

आवेदनक. नाम

आवास का पता

22.3.11

संबन्धित विवरण (संक्षेप में): अनुलग्नक (1) संलग्न

मैं यहाँ घोषित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिनियम-2009 के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित है।

आवेदन का शुल्क ... 10/- दस रूपये डाफ्ट/पोस्टल आर्डर/बैंकर्स चेक/नगद/नन-जूडिसियल स्टांप के माध्यम से किया है, जिसकी पर्ची संलग्न है।

मैं यहाँ घोषित करता हूँ कि मैंने अपना परिवार का हूँ, मेरा कार्ड/सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

पोस्टल आर्डर नं० 85E435645

(नाम व हस्ताक्षर) : नीरज कुमार

ई-मेल (अगर कोई हो) : niirajmanuadhikar@gmail.com

आवास का पता : स्टेशन रोड, वार्ड नं०-32

बेगूसराय, (बिहार) - 851101
फोन : 9905034216

बेगूसराय

10/03/2011

22.3.11

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय कार्यालय बंगला (पूर्वी), मुम्बई - 1 में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी (एम० टी० ए०) को कार्यालय सं० MH/HRM-1(6)/LDC-70%/375, दिनांक 10.12.2010 के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई है। (कार्यालय आदेश की श्रृंखला-प्रति संलग्न है)। और भविष्य निधि संगठन के किस-किस क्षेत्रीय कार्यालयों में पदोन्नति दी गई है, उसका पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से दिया जाय !

2. जिस नियम के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बंगला (पूर्वी) मुम्बई - 1 के कार्यालय में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी (एम० टी० ए०) की पदोन्नति निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में की गई है, उस नियम के अन्तर्गत बंगला, पिहा, शाइरवड के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में 08.03.2011 तक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी (एम० टी० ए०) को निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में पदोन्नति कभी नहीं दी गई और कब तक प्रोत्तन दी जायगी इसका विवरण दिया जाय !

3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 08.03.2011 तक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी (एम० टी० ए०) को निम्नवर्गीय लिपिक में पदोन्नति नहीं दी गई है। इसे जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी (एम० टी० ए०) को आर्थिक और भावसिक हानि हो रहा है, क्या इसका जिम्मेदार केंद्रीय भविष्य निधि आसक्त होगा? या कौन ^{होगा} इसका पूर्ण विवरण दिया जाय !



Employees' Provident Fund Organisation

(Ministry of Labour, Government of India)

Regional Office - Mumbai

341, Bhavishya Nidhi Bhavan, Bandra (East), Mumbai - 400 051

No. MH/HRM-I(6)/LDC-70%/375

Date: 10/12/2010

OFFICE ORDER

The Competent Authority is pleased to approve the promotion of the following Group 'D' (now treated as Gr. 'C') on long term regular basis to the post of Lower Division Clerc against 70% Seniority Cum-fitness Quota in the revised pay scale of Rs.5200-20'000 plus grade pay of Rs.1900/- from the date of assumption of charge as per the recommendation of the DPC held on 06/12/2010

Sr. No	Name of the Officer	Category	Designation	Place of Posting
1	Shri N.B. Bhosale	GEN	MTA	A'bad
2	Shri D.V. Dalvi	GEN	CLEANER	Bandra
3	Shri SR Chiuhan	GEN	MTA	Nagpur
4	Shri S.D. Raut	OBC	MTA	Kandivali
5	Shri N.C Dhuri	CBN	MTA	Bandra
6	Shri D.K. Kawale	OBC	MTA	Nagpur
7	Shri PB Newale	OBC	MTA	Kandivali
8	Shri Prithvi Kumar	GEN	MTA	Nagpur
9	Shri A.B. Ade	GL OBC	MTA	A'bad
10	Kum N.U. Sarangdhar	OBC	MTA	Thane
11	Shri A.K. Sonawane	GEN	MTA	Bandra
12	Shri S.N. Kenekar	OBC	MTA	Nasik
13	Shri PM Sagvekar	OBC	MTA	Bandra
14	Shri A.M. Patil	GEN	MTA	Solapur
15	Shri S.V. Vibhandik	OBC	MTA	A'bad

..2..

Sr. No	Name of the Official	Category	Designation	Place of Posting
16	Shri S.D. Shahabajke	OBC	M.A.	Bandra
17	Kum J.K. Ghanate	OBC	M.A.	Bandra
18	Shri D.B. Shelar	OBC	M.A.	Pune
19	Shri N.N. Shirodkar	OBC	M.A.	Bandra
20	Shri P.P. Narkar	OBC	M.A.	Thane

(Issued with the approval of RPFC-(I))

(JAGDISH TANBE)
Regional Provident Fund Commissioner (HRM)

To,
The Official Concerned
(through the respective RPFCs/ OICs)

Copy to: The RPFCs/ OICs, RDs/SROs Thane/Karajivalli/Pune
Nagpur/A'bad/ Kolapur ... for information and necessary action.

Copy to: PS to RPFC (I)

Copy to: PS to ACC (WZ)

Copy to: All RPFC (II) in L.O. Mumbai-I

Copy to: The APFC/SS - Pay Bill, Muster Clerk, Personal File, HRM-II,
Pre-Audit Cell, Cash Reconciliation Section, Co-ordination, CSD, ER-CR Clerk,
Cashier, R.Vig., DD/Vig., EPFSU, Caretaker, Society, EPFSC/STSWA,
Estn. Cell, Guard File